प्रारूप

उच्च शिक्षा विभाग

मिशन शक्ति फेज – 5 "द्वितीय चरण" के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रमों का विवरण

(प्रारम्भ दिनांक 19 मार्च, 2026)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय का नाम	कार्यक्रम/गतिविधियों का विवरण		कुल छात्राओं की संख्या	कुल छात्रों की संख्या
	1	प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित काव्यपाठ, स्लोगन निर्माण, निबंध, गीत एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाना		
	2	भारत की सशक्तिकरण की प्रतीक महिलाओं यथा – वीरांगनाएँ, कवियित्रियाँ, स्वतन्त्रता सेनानी, उद्यमी एवं अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के जीवन चरित्र पर आधारित व्याख्यान का आयोजन किया जाना		
	3	प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में माह में एक दिन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित काउंसिलिंग की व्यवस्था किया जाना, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षक एवं काउंसलर का महिला होना आवश्यक है।		
	4	उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के कैरियर एवं कौशल विकास हेतु समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना, जिसके सदस्यों में महिला सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है।		
	5	प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु वित्तीय साक्षरता के लिए संगोष्ठी/सेमिनार का आयोजन कराया जाना।		
	6	छात्राओं को सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने सम्बन्धी अवांछनीय व्यवहारों के प्रति जागरूक करना – **(क)** शारीरिक संपर्क और प्रगति। **(ख)** यौन संबंधों की माँग एवं अनुरोध। **(ग)** यौन रंजित टिप्पणियाँ। **(घ)** अश्लील साहित्य दिखाना। **(ङ)** यौन प्रकृति का कोई अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक व्यवहार।		

	7	प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एण्टी रैगिंग महिला उत्पीड़न निवारण समितियों को सक्रिय बनाना तथा छात्राओं की समस्यायों का निराकरण करना।		
	8	भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन नंबर (112, 1090, 181 एवं 108) का व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता शिविर का आयोजन करना।		
	9	प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में महाविद्यालय स्तर पर महिला हेल्प डेस्क का सक्रिय क्रियान्वयन किया जाना।		
	10	प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर महिला स्वावलम्बन हेतु सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान किया जाना।		
	11	प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की छात्र – छात्राओं द्वारा (महाविद्यालय में संचालित एनएसएस, रोवर्स रेन्जर्स यूनिटों को वरीयता दी जाये) विशेष ग्राम/मोहल्ला गोद लेकर मिशन शक्ति की गतिविधियों की पहुंच सुनिश्चित किया जाना।		
	12	प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण (जूडो कराटे, ताइक्वांडो आदि) का आयोजन किया जाना।		
	13	प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल साक्षरता तथा साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यशाला आयोजित कराया जाना।		
	14	प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में साइबर सेल विधि विभाग जिला स्तरीय समितियों से समन्वय स्थापित कर वर्चुअल सेमिनार, वेबिनार व डिजिटल प्रतियोगिताओं द्वारा साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट व डिजिटल फ्रॉड के प्रति जागरूक किया जाना।		
	15	प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में मिशन शक्ति के अन्तर्गत आयोजित विशिष्ट व प्रेरक गतिविधियों को नियमित रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे – यूट्यूब चैनल, इन्स्टाग्राम, फेसबुक एवं महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना।		
कुल योग				
महायोग(कुल छात्राएं एवं कुल छात्र)				

(हस्ताक्षर)

नोट – आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रतिदिन की सूचना संकलित करना सुनिश्चित करें जिससे मांगे जाने पर समेकित सूचना तैयार कर प्रेषित करने में असुविधा न हो।